अध्याय 8: पुरावशेष प्रबंधन

देश भर में पुरावशेष अधिकतर राष्ट्रीय/राज्य स्तर के संग्रहालयों द्वारा अर्जित एवं अनुरक्षित थे। इसके अतिरिक्त, उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरावशेष एएसआई द्वारा इसके स्थल संग्रहालयों पर रखे एवं प्रदर्शित किए जाते हैं।

8.1 राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय

मंत्रालय के अंतर्गत, सात राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय उसके अधीनस्थ कार्यालय अथवा स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत हैं। मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि पुरावशेषों के प्रबंधन के लिए एकरूप प्रक्रिया का पालन इन संग्रहालयों द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि वे स्वतंत्र इकाई थे जो बोर्ड/सोसायटी के निर्देशों के अधीन थे। फिर भी मंत्रालय ने पीएसी को अवगत कराया कि कला वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए एकरूप नीति के प्रारूपण एवं अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाये गये हैं। जैसा कि पैरा 3.1 में बताया गया है, पीएसी की सिफारिशों के सापेक्ष में, सभी संग्रहालयों (पैरा 7.3 में उल्लेखित सुरक्षा नीति को छोड़कर) के लिए एकरूप नीति प्रक्रिया नहीं बनाई गई। मंत्रालय द्वारा संग्रहालय में स्थित कला वस्तुओं को *जतन* सॉफ्टवेयर द्वारा अंकीयकरण के बारे में भी पीएसी को सूचित किया गया।

पिछले प्रतिवेदन में, पुरावशेष प्रबंधन जैसे परिग्रहण, पंजीकरण, प्रलेखन, परिग्रहण, भौतिक सत्यापन, संग्रहण, प्रदर्शन, सुरक्षा एवं मानव संसाधन से संबंधित कई प्रेक्षण बनाये गये थे। यद्यपि पीएसी द्वारा किसी भी राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों के लिए कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई, फिर भी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान उनके कार्यों में पाए गए विचारणीय क्षेत्रों की नीचे चर्चा की गई हैं:

8.1.1 राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली (एनएम), जिसका औपचारिक उद्घाटन अगस्त 1949 में हुआ था, के पास भारतीय एवं विदेशी दोनों मूल के लगभग 2.06 लाख उत्कृष्ट कलाकृतियाँ थीं, जो कि 5000 वर्षों से अधिक की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए थीं। 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एन एम के औसत वार्षिक आवंटन ₹36.65 करोड़ के सापेक्ष में औसत वार्षिक व्यय ₹34.62 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएम की कार्यप्रणाली के विषय में दो समितियों नामत:

वरदराजन समिति (2004) एवं *येचुरी* समिति (2011) द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई एवं पिछले प्रतिवेदन में भी इसे उल्लेखित किया गया था जो अभी भी मौजूद थीं। इस संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियां की जा रही हैं:

- एन एम की संस्वीकृत संख्या, जो पिछले लेखापरीक्षा के समय 276 थी, को मंत्रालय द्वारा (जुलाई 2019) में कम[62] करके 174 कर दी गई, जिसके सापेक्ष में (दिसंबर 2020) 36 पद रिक्त थे। कुछ पद नामतः अतिरिक्त महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक 2014 से रिक्त थे।

- उपहार में प्राप्त वस्तुओं के अधिग्रहण को छोड़कर, एनएम द्वारा पिछले प्रतिवेदन में आवृत अवधि अर्थात् 2007 से ही किसी कलाकृति की खरीद नहीं की गई थी। यह देखा गया कि 1997 से एमएम की कला खरीद/अधिग्रहण समिति निष्क्रिय थी एवं पुर्नगठित नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप संग्रहालय के संग्रहण में नई अतिरिक्त वृद्धि नहीं हुई।

- एनएम के पास वस्तुओं के भौतिक सत्यापन को सम्मिलित करते हुए कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने की कोई नीति/दिशानिर्देश/निर्देश नहीं थे। एनएम के विभिन्न अनुभागों में वस्तुओं के कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने एवं उनके भौतिक सत्यापन में विलंब देखा गया। एनएम द्वारा एक बयान (सितंबर 2019) में जारी किया गया कि सभी कलाकृतियों के अंकीयकरण एवं उनके *जतन* सॉफ्टवेयर से संयोजन के पश्चात, (परिग्रहण पंजिका में दिए गए विवरण के साथ), सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण[63] मान ली जाएगी। फिर भी, 2.06 लाख कलाकृतियों में से, एनएम के पास 1.73 लाख वस्तुओं के अंकीयकृत अभिलेख थे, जिसमें केवल 0.81 लाख कला वस्तुओं का फोटोग्राफी/अंकीयकरण (जनवरी 2021 तक) पूर्ण हुआ था।

---

[62] नौ पद क्यूरेटर/डिप्टी क्यूरेटर एवं पांच पद संरक्षण/उप सरंक्षक, डिप्टी केमिस्ट को शामिल करते हुए।

[63] उच्च न्यायालय राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण में (सितम्बर 2019), यह बताया गया कि जतन के माध्यम से अंकीयकरण परियोजना के एक हिस्से के रूप में, वर्गीकृत परिग्रहण पंजी (सीएआर) में प्रदर्शित रही सभी सूचना सिस्टम में डाली गई है। तत्पश्चात् सीएआर में प्रदर्शित कि हो रही प्रत्येक वस्तु भौतिक रूप से सत्यापित की गई है तथा भौतिक सत्यापन के प्रमाण के रूप में फोटोग्राफ भी ली गई है।

- *येचुरी* समिति ने, एनएम में कलाकृतियों के (2003 से) भौतिक सत्यापन न होने का इशारा करते हुए, महसूस किया कि जब भी सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कुछ वस्तुएँ गायब मिलेंगी। पिछले प्रतिवेदन में भी एनएम में कलाकृतियों की संख्या में विसंगति के मुद्दे को शामिल किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, एनएम के विभिन्न अनुभागों में, वस्तुओं की संख्या इन दोनों समितियों द्वारा बताई गई संख्या से भिन्न पाई गई। इसके अतिरिक्त, एनएम के कुछ अनुभागों में, कलाकृतियों के गायब/न पता लगाने योग्य उदाहरण भी देखे गये।

अनुलग्नक 8.1 में कलाकृतियों के कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने/सत्यापन प्रक्रिया एवं गायब/ न पता लगाने योग्य का अनुभाग-वार स्थिति का विवरण दिया गया है। कुछ उदाहरण नीचे दर्शाए गए हैं:

- मुद्रा संग्रहण अनुभाग में केवल दस *प्रतिशत* सिक्के भौतिक रूप से सत्यापित थे। जैसा कि पूर्व प्रतिवेदन में चर्चा की गयी थी, पूर्व क्यूरेटर के अलमारी से 15 पुरातन सिक्के बरामद (2008) किये गये थे, अभी भी सत्यापित एवं संग्रहालय अभिलेखों के साथ परिग्रहित नहीं थे। अपर्याप्त सत्यापन के कारण, गैलरी में प्रदर्शित एवं रिजर्व से हटाये गये सिक्कों के सह संबंध का कोई अभिलेख नहीं था।

- पूर्व-इतिहास अनुभाग में, 5437 वस्तुओं के सापेक्ष में केवल 1942 कलाकृतियों को सौंपा/लिया गया। क्यूरेटर को बची हुई कलाकृतियाँ कहाँ हैं के बार में कोई सूचना नहीं थी। पूर्व कोलंबिया एवं पश्चिमी कला अनुभाग में, 2909 वस्तुओं (*येचुरी* समिति द्वारा चिन्हित) के सापेक्ष, में केवल 1208 प्रतिवेदित थे। इसी प्रकार नृविज्ञान अनुभाग में, 501 वस्तुएं गायब/ न पता करने योग्य सूचित की गई थी।

- पिछले प्रतिवेदन में, यह रेखांकित किया गया था कि पाण्डुलिपि अनुभाग के परिग्रहण रजिस्टर में अनियमितता के कारण, इसके प्रभार को नये क्यूरेटर को नहीं सौंपा गया था। जैसा कि **अनुलग्नक 8.1** में विवरण दिया गया है, 35 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियाँ (4871) अभी भी भौतिक रूप से सत्यापित नहीं हैं।

- पेंटिंग अनुभाग में, 2016 से पूर्ण कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिग्रहण रजिस्टर में *थांका* के रूप में वर्णित पेंटिग *बुद्धा* की गुम तस्वीर थी।

परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार

स्वामित्व में

अनुभाग ने (मार्च 2021) में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि दो पेंटिंग्स एक परिग्रहण संख्या के अंतर्गत दर्ज की पाई गईं है। संग्रहालय प्राधिकरण को (जनवरी 2020) में यह भी सूचित किया गया था कि अनुभाग की विभिन्न कलाकृतियाँ गायब थीं। फिर भी, एनएम (मार्च 2021) द्वारा की गई कार्रवाई का कोई अभिलेख नहीं था। इसी प्रकार, पूर्व-इतिहास रिजर्व में, वस्तुएं बिना परिग्रहण संख्या के रिजर्व में पड़ी हुई पाई गई।

- एनएम के पास 26 गैलरी थीं जिसमें, हथियार एवं कवच, पाण्डुलिपियाँ, पेंटिंग्स, पूर्व कोलंबिया एवं पश्चिमी कला, जवाहरात, पुरालेख एवं वस्तु गैलरी बंद पाईं गईं। *येचूरी* समिति ने पाया कि उन्नयन/नवीनीकरण, प्रदर्शन वस्तुओं एवं कार्मिकों की कमी, के कारण के अलावा सतर्कता एवं चोरी संबंधी मामलों के लंबित रहने के कारण भी गैलरियाँ बंद थी। यह भी पाया गया कि कुछ गैलरी जैसे कि पूर्व कोलंबिया एवं पश्चिमी कला, पाण्डुलिपि जो पूर्व प्रतिवेदन में भी बंद पाई गई थीं उनके उन्नयन की वजह के बहाने अभी भी खोली नहीं गई हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश अनुभागों में, केवल नौ *प्रतिशत* तक कला वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं।

इस मुद्दे पर, एनएम ने (अप्रैल 2021) में बताया कि कोई भी गैलरी सतर्कता एवं चोरी के लंबित मामलों के कारण बंद नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुरावशेषों का कम *प्रतिशतता* में प्रदर्शन का कारण जगह का कम होना है। तथ्य यह है कि कलाकृतियों के कम *प्रतिशतता* में प्रदर्शन एवं गैलरियों के बंद रहने के कारण आम जनता हमारे समृद्ध विरासत को अनुभव करने से वंचित रही।

- जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में उल्लिखित था, एनएम के विभिन्न अनुभागों के रिजर्व संग्रह में, सुरक्षा कैमरे उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कला वस्तुएं लकड़ी की अलमारी में कमरों/अनुभागों (जैसे पेंटिंग्स, मध्य एशियाई संग्रह) में अग्नि-सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना रखी गईं थीं।

ऑरेल स्टीन संग्रह-मध्य एशियाई पुरावशेष

ऑरेल स्टीन (1862-1943) एक पुरातत्वविद् थे, जो अपने अन्वेषण एवं खोज के लिए जाने जाते हैं। एनएम के गैर-भारतीय संग्रहों के बीच, मध्य एशियाई कला संग्रह एक महत्वपूर्ण संग्रह है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उत्कृष्ट भिति चित्र, रेशमी बैनरें, मूर्तियाँ, कला वस्तुएँ आदि हैं। यह संग्रह, ऑरेल स्टीन द्वारा, 1900-1916 के दौरान, तीन महत्वपूर्ण अभियानों में खोजे एवं संग्रहित किए गए थे।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, यह बताया गया था कि इस संग्रह का एक भाग जिसमें 700 कला वस्तुएं शामिल थी सन् 1923 से 1933 के मध्य भारत सरकार (एएसआई द्वारा विक्टोरियां एवं अल्बर्ट (वी एवं ए) संग्रहालय को उधार दिया गया था। उधार दी गई कला वस्तुएं वापस[64] प्राप्त नहीं की गई थी। यह पाया गया कि वी एवं ए संग्रहालय से संग्रह को पुन: प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, एनएम के संरक्षण प्रयोगशाला में कुछ वस्तुएं अभी भी पड़ी (50 वर्षों से अधिक समय से) हुई थी।

स्रोतः सीएजी की 2013 की प्रतिवेदन सं. 18 (पृष्ठ 151)

---

[64] वी एवं ए वेबसाईट वी एवं ए/स्टीन संग्रह (vam.ac.uk) भारत सरकार से उधार प्राप्त संग्रह में लगभग 600 कपड़े के टुकड़े एवं 70 से अधिक सेरामिक तथा 200 ई.पू. और 1200 ई.पू. के मध्य की बौद्ध वस्तुएं शामिल थीं।

- अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एनएम की अमूल्य मूर्तियां असुरक्षित वातावरण में, धूल-सरित पड़ी हुई थी जैसा कि निम्न फोटोग्राफ एवं **अनुलग्नक 8.2** में चित्रित है।

8.1.2 एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई

रॉयल एशियाटिक सोसायटी के मुम्बई शाखा की स्थापना 1826 में मुम्बई साहित्यिक सोसायटी एवं आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एशियाटिक सोसायटी को विलय करके की गई थी। एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई(एएसएम) एक पुस्तकालय एवं अनुसंधान सोसायटी है जिसके अधिकार में बौद्ध अवशेष, पुरातन सिक्के, पाण्डुलिपियाँ इत्यादि हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि सिक्कों के अलावा, एएसएम द्वारा किसी परिग्रहण पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। सिक्कों के सूचीबद्ध करने का कार्य 2014-15 से शुरू किया गया था, अभी भी अपूर्ण था और सिक्कों एवं अन्य पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन 2008 से लंबित था।

8.1.3 सालारजंग संग्रहालय, तेलंगाना

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद (एसजेएम) की स्थापना 1951 में की गई थी एवं 1961 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। इसके पास दुनियाभर से प्राप्त पुरावशेष और कला वस्तुओं का संग्रह है। लेखापरीक्षा द्वारा 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान निम्न अभ्युक्तियाँ देखी गई:

- एसजेएम अधिनियम, 1961, संग्रहालय के दक्षतापूर्ण प्रबंधन और नियोजन, उन्नयन, संगठन एवं संग्रहालय के विकास के क्रियान्वयन के लिए एक बोर्ड का प्रावधान करता है। बोर्ड द्वारा एक वर्ष में अनिवार्य चार बैठकों (कम से कम) के सापेक्ष में केवल दो मीटिंग की गई, जबकि इस अवधि में कुल मिलाकर 28 वांछित मीटिंग होनी थी। इसी प्रकार शीर्ष स्तर पर संग्रहालय के प्रभावी प्रबंधन के लिए सलाह उपलब्ध नहीं थी। उप-समितियों के निर्धारित

बैठकों में भी इसी प्रकार की कमियाँ विद्यमान थीं, जैसे कार्यकारी समिति (71.43 *प्रतिशत*), वित्त समिति (35.71 *प्रतिशत*) एवं भवन सलाहकार समिति (85.71 *प्रतिशत*) देखी गई थीं।

- पिछले लेखापरीक्षा के दौरान एसजेएम की संस्वीकृत संख्या 166 थी जो 2020-21 में घटकर 140 रह गई थी। कम किए हुए संख्या के सापेक्ष, में जनशक्ति (20 माह से लेकर 16 वर्ष) की कुल कमी 46 थी अर्थात्, 32.86 *प्रतिशत* (तकनीकी कार्मिक के 21 पदों को शामिल करते हुए)। एसजेएम द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2021) कि बजट की कमी के कारण पदों को नहीं भरा जा सका।
- 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एसजेएम का औसत वार्षिक निधि आवंटन ₹24.33 करोड़ था। चूँकि अनुदान परिरक्षण एवं संरक्षण गतिविधियों के लिए पृथक रूप से आवंटित नहीं थे, फिर भी ऐसे कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर लिए जा रहे थे। इस अवधि (2014-20) के दौरान, परिरक्षण एवं सरंक्षण गतिविधियों पर व्यय (सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन, अंकीयकरण आदि पर व्यय को शामिल करते हुए) 0.09 से 5.83 *प्रतिशत* था।
- एसजेएम ने कोई नई कलाकृति अर्जित नहीं की थी और इसकी कला अभिग्रहण समिति भी गठित नहीं थी। एसएजएम ने (जून 2021) उत्तर दिया कि 1992 के बाद कोई अभिग्रहण नहीं किया गया था एवं समिति का गठन नहीं किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि कोई नई मद एसजेएम संग्रह के लिए उपयुक्त नहीं होगी और इस प्रक्रिया में ज्यादा लागत आयेगी।
- एसजेएम के अधिकार में 46,216 कला वस्तुएँ, 8,191 पाण्डुलिपियां एवं 69,225 पुस्तकें थीं। 46,216 कला वस्तुओं में से, उसके द्वारा 16,606 वस्तुएं प्रदर्शित की गईं एवं 29,610 (64 *प्रतिशत*) रिजर्व में पड़ी थीं। यह पाया गया कि एसजेएम के पास कोई आवर्तन नीति नहीं थी। इस संबंध में, एसजेएम ने बताया कि गैलरी के डिजाइन को देखते हुए विशेष अवसरों/प्रदर्शनियों के अवसर पर अथवा जहां कहीं भी संभव था रिजर्व से मुख्य एवं सीमित कलाकृतियों, वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। उत्तर तर्कसंगत

नहीं था क्योंकि आवर्तन/प्रदर्शन नीति की अनुपस्थिति में कई कला वस्तुएं रिजर्व में बिना कभी प्रदर्शन के पड़ी हुई थीं, एवं इस प्रकार, आगंतुकों के उन्नत अनुभवों से वंचित रहें।

- कला वस्तुओं के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र तिथि, नाम एवं सत्यापन प्राधिकारी की मुहर के बिना जारी की गई थी जैसा कि **अनुलग्नक 8.3** में चित्रित है। इसके अलावा, एसजेएम के पास कला वस्तुओं की वास्तविकता के मूल्यांकन के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे।

  एसजेएम ने (अप्रैल 2021) बताया कि कला वस्तुओं की वास्तविकता का मूल्यांकन उनके भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के नियमन का स्वरूप बोर्ड के अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। तथापि, एसजेएम का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भौतिक सत्यापन प्रक्रिया एक नियमित प्रक्रिया थी एवं इसे वस्तुओं की वास्तविकता के आकलन के उद्देश्य से नहीं लिया जा सकता है।

- एसजेएम ने 100 *प्रतिशत* कला वस्तुओं और 54 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियों को अंकीयकरण कर दिया था। इसके द्वारा सभी पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों की आरएफ आईडी टैगिंग को पूरा किया गया था। तथापि, कला वस्तुओं के संबंध में, केवल 10,000 वस्तुओं (22 *प्रतिशत*) की आरएफआईडी टैगिंग की गई थी। एसजेएम ने बताया कि पाण्डुलिपियों के अंकीयकरण का कार्य अगले दो वर्षों में पूरा किया जाएगा जबकि मंत्रालय परियोजना कोटा के अंतर्गत सीमित संख्या में आरएफआईडी टैंगिग थे।

- एसजेएम बजट प्रतिबंधों के कारण अपनी सुरक्षा एजेंसी अर्थात् केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सिफारिश के अनुसार सीसीटीवी कैमरों का उन्नयन करने में असमर्थ था। इसके अलावा, नीति/दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति में, एसजेएम का परिरक्षण एवं संरक्षण गतिविधियों (सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन, अंकीयकरण को शामिल करते हुए) पर व्यय उसके कुल व्यय के 0.09 और 5.83 *प्रतिशत* के मध्य था।

8.1.4 विक्टोरिया मेमोरियल हॉल संग्रहालय, कोलकाता

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता (वीएमएच), विक्टोरिया मेमोरियल अधिनियम, 1903 के अंतर्गत स्थापित किया गया था और इसे 1935 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। वीएमएच के पास रेखाचित्रों और चित्रों, सिक्कों एवं पदकों, हथियारों एवं कवचों, पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों आदि के संग्रह है। लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ दी:

- वीएमएच की रिक्ति स्थिति 30.1 *प्रतिशत* (पिछली लेखापरीक्षा के दौरान) से बढ़कर 53.7 *प्रतिशत* हो गई। 175 संस्वीकृत पदों में से, 94 पद तीन माह से 32 वर्ष तक की अवधि के लिए रिक्त थे।
- 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, वीएमएच का वार्षिक औसत निधि आवंटन ₹37.49 करोड़ था, के सापेक्ष में औषत वार्षिक उपयोग ₹27.37 करोड़ हुआ था, जो कि आवंटित अनुदानों के कम उपयोग को दर्शाता हैं।
- पिछले प्रतिवेदन अर्थात् 2007 में शामिल अवधि से वीएमएच ने कोई भी नयी कलाकृतियां प्राप्त नहीं की। 33,497[65] कलाकृतियाँ वीएमएच के अधिकार में थी, जिसमें 28,394 (85 *प्रतिशत*) का परिग्रहण किया गया है तथा 26,611 (79 *प्रतिशत*) का अंकीयकरण/प्रलेखन किया गया। अधूरे प्रलेखन के अलावा, वीएमएच की परिग्रहण पंजी बिना कोई सॉफ्ट कॉपी बैकअप के खराब स्थिति में पायी गयी। केवल 18 *प्रतिशत* वस्तुओं को एआरएफआईडी के लिए टैग भी किया गया है।
- पिछले प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया कि वीएमएच की 28,394 कलाकृतियों में से 18,979 अपनी प्राचीन एवं आन्तरिक महत्व के संबंध में असत्यापित रहीं। यह पाया गया कि 2017-18 के दौरान, वीएमएच ने अपनी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया। तथापि, इनके द्वारा संबंधित प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया।

  वीएमएच ने अपने उत्तर में आश्वासन दिया कि भौतिक सत्यापन एवं इनके संग्रह का अधिप्रमाणन पूरा करने के लिए पहल की जाएगी।

---

[65] पिछले प्रतिवेदन के अनुसार 33,493

- इनके पास उपलब्ध 33,497 वस्तुओं में से वीएमएच ने अपनी गैलरियों (मार्च 2020) में केवल 817 वस्तुओं (2.44 *प्रतिशत*) को प्रदर्शित किया। वीएमएच ने बताया कि अस्थायी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित कलाकृतियों का आवर्तन, माह के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन तथा स्थायी प्रदर्शनी में परिवर्तनों के लिए प्रयास किए गए। तथ्य यह है कि गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या बहुत कम थी। और, वीएमएच की विभिन्न गैलरियां भी जैसे चित्र गैलरी, भारतीय कला विद्यालय, क्वीन्स हॉल आदि अपने नवीनीकरण या मरम्मत के कारण 23 महीनों तक की अवधि के लिए बंद थे।

- *रवीन्द्र भारती* सोसायटी ने वीएमएच (2011) को उधार पर 5,103 चित्रकलाओं को दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार (2007), वीएमएच को *रवीन्द्र भारती* सोसायटी को प्रतिवर्ष ₹10 लाख की राशि का ऋण अदा करना था। तथापि केवल नौ चित्रकलाओं को दर्शाया गया तथा वीएमएच शेष चित्रकलाओं का उपयोग करने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, 303 अधिगृहित चित्रकलाओं का भौतिक सत्यापन बीएमएच द्वारा नहीं किया गया।

- दो बैगेज स्कैनरों एवं 13 हैन्ड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स के लिए अपनी सुरक्षा समिति की सिफारिश के सापेक्ष में, वीएमएच के पास क्रमश: एक एवं छ: ऐसी मशीनें थी। संग्रहालय ने अपने भण्डार-कक्षों में कोई भी एयर-कंडीशनर नहीं लगाए थे जबकि आठ स्टोरों में से केवल तीन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित थे। वीएमएच के पास कोई फायर अलार्म, धूम्र संसूचक, स्प्रिकलर्स, आदि नहीं थे तथा भंडारों में कोई भी अग्निशमन यंत्र नहीं था। पर्यावरण मापदंडो को अभिलेखित करने हेतु चार डाटा लोगर्स की खरीद (मार्च 2015) के बावजूद उपरोक्त को प्रयोग के लिए नहीं रखा गया है।

8.1.5 भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (आईएम) की स्थापना 1814 में की गई तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र में सबसे बड़ा एवं अपनी तरह का सबसे पुराना संस्थान है। संग्रहालय 35 गैलरियों के माध्यम से प्रदर्शित दोनो भारतीय एवं ट्रांस भारतीय वस्तुओं का कोष है। पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया कि संस्थान समान सरंक्षित नीति को तैयार करने में असफल रहा, जिसका परिणाम इसकी कलाकृतियों का खराब होने में हुआ। इस संबंध में, आईएम ने बताया कि नीति 2015 से मंत्रालय के अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित थी।

2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, आईएम का वार्षिक औसत निधि आवंटन ₹22.25 करोड़ था जिसके सापेक्ष में ₹21.36 करोड़ औसत वार्षिक उपयोग हुआ था। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, आवंटन में क्रमश: 64.5 तथा 88.2 की *प्रतिशतता* वृद्धि को दर्शाया। आईएम की कार्यकारी पर अभ्युक्तियों की नीचे व्याख्या की गई है:

- आईएम की रिक्त स्थिति में 28.7 *प्रतिशत* (पिछली लेखापरीक्षा के दौरान) से 58.9 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई। 209 संस्वीकृत पदों में से 123 पद छ: महीने से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि के लिए रिक्त थे।

- आईएम ने कोई भी नई कलाकृतियों का अधिग्रहण नहीं किया। आईएम के अधिकार में 1,08,000 कलाकृतियां थीं जिसमें से 72984 (67 *प्रतिशत*) का परिग्रहण किया गया है तथा 46,008 (43 *प्रतिशत*) का अंकीयकरण किया गया था। आईएम के पास अपनी 60,224 वस्तुओं के प्रलेखित फोटो थी जबकि केवल 8 प्रतिशत वस्तुएं आरएफआईडी के लिए टैग की गई है। इसके अतिरिक्त, परिग्रहण संख्याओं की पुनरावृत्ति पायी गई थी क्योंकि विभिन्न अनुभाग अपने-अपने परिग्रहण-पंजियों का अनुरक्षण कर रहे थे।

- पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया कि आईएम में वस्तुओं का भौतिक सत्यापन (2005 में प्रारम्भ) कलाकृतियों के 38 *प्रतिशत* के लिए किया गया (मार्च 2012 तक)। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वस्तुओं का 11 *प्रतिशत* अभी तक सत्यापित नहीं किया गया था (मार्च 2020)। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के संरक्षण की आवश्यकता को चिन्हित करने के लिए आईएम द्वारा सर्वेक्षण भी नहीं किया गया। आईएम पर पाए गए अनुचित सरंक्षण कार्य का उदाहरण नीचे चित्रित किया गया है:

शिव की *गजासुरसंहार* मूर्ति में पैच कार्य पाया गया	**लाल मिट्टी का पत्थर *यक्षी* पूर्णत: काले रंग में परिवर्तित कर दिया गया था।**
आईएम ने अनुचित पैच कार्य पर अभ्युक्ति को स्वीकार किया। यक्षी के संबंध में उसने बताया कि इक के काले पड़ने का कारण कोटिंग में अधिक रंगद्रव्य था। उसने प्रदूषकों के जमाव की सम्भावना का भी वर्णन किया क्योंकि मूर्ति सड़क के पास स्थापित थी।	

- उनके साथ उपलब्ध 1,08,000 वस्तुओं में से आईएम ने गैलरी (मार्च 2020) में 2,554 वस्तुओं (2.36 *प्रतिशत*) को प्रदर्शित किया। इस संबंध में आईएम ने उत्तर दिया कि लोकहित में, कलाकृतियों का नियमित आवर्तन संग्रहालय घेरे के अंदर एवं बाहर प्रदर्शनी आयोजित करने वाले साधनों द्वारा अनुरक्षित किया गया। तथापि कोई भी नियमित आवर्तन नीति नहीं थी तथा गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त, नवीनीकरण/सुधार से संबंधित मुद्दों के कारण कुछ गैलरियां अर्थात् सांस्कृतिक नृविज्ञान गैलरी, कांस्य गैलरी, पूर्व-प्रोटो इतिहास, दक्षिण पूर्व एशियाई गैलरी लेखापरीक्षा के दौरान शामिल अवधि के समय बंद रहीं थी। गैलरियों में प्रदर्शित गई कलाकृतियों की स्थिति **अनुलग्नक 8.2** में चित्रित की गई है।

- उचित तापमान को नियंत्रित करने के लिए एअर-कंडीशनर्स तथा सीसीटीवी कैमरे भंडारों में नहीं लगाए गए थे। संग्रहालय में कोई भी फायर अलार्म, धूम्र-संसूचक, स्प्रिंकलर्स नहीं थे तथा केवल पाँच भंडारों (दस में से) में अग्निशमन लगे थे।

8.1.6 एशियाई सोसायटी, कोलकाता

एशियाई सोसायटी, कोलकाता (एएसके) की स्थापना सर विलियम जॉन्स द्वारा 1784 में की गई तथा 1984 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। एएसके के पास चित्रकलाओं, पांडुलिपियों, सिक्के आदि का बड़ा संग्रह था। 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एएसके का वार्षिक औसत निधि

आवंटन ₹24.09 करोड़ था जिसके सापेक्ष में ₹22.29 करोड़ का औसत वार्षिक उपयोग हुआ था। एएसके के संबंध में निम्नवत पाया गया:

- एएसके की रिक्तता स्थिति में 17.5 *प्रतिशत* (पिछली लेखापरीक्षा के दौरान) से 31.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। 254 संस्वीकृत पदों में से 81 पद दो महीने से लेकर 24 वर्ष सात महीने तक के बीच की अवधि के लिए रिक्त थे।

- कला खरीद समिति की सिफारिशों के आधार पर एएसके ने 2015 एवं 2017 के दौरान 166 कला वस्तुओं (35 उपहारों सहित) अधिग्रहण किया। तथापि, अधिग्रहित पुरावशेषों की यथार्थता को सुनिश्चित करते हुए परिभाषित प्रक्रियाओं की कमी के कारण एएसआई के माध्यम से केवल 10 वस्तुओं को सत्यापित करने के लिए सक्षम था।

- एएसके के अधिकार में 3,01,626 कलाकृतियाँ थीं जिसमें से 2,86,363 (95 *प्रतिशत*) का परिग्रहण किया गया। तथापि, एएसके ने केवल क्रमश: 9,165 (पांच *प्रतिशत*) एवं 1,774 (तीन *प्रतिशत*) वस्तुओं का अंकीयकरण एवं फोटो प्रलेखन किया। उसने लेखापरीक्षा को शेष कार्य को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति के गठन के संबंध में आश्वासन दिया। खराब प्रलेखन प्रक्रिया के अतिरिक्त एएसके के पास अपने परिग्रहण पंजियों की कोई भी बैकअप कॉपी नहीं थी।

- पिछले प्रतिवेदन में, यह उल्लेख किया गया कि एएसके पास उपलब्ध दुर्लभ सिक्के कभी नहीं गिने गए तथा न ही कभी भौतिक रूप से सत्यापित किए गए। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि उपलब्ध सिक्कों की संख्या एवं उनके सत्यापन के संबंध में स्थिति स्थिर थी। सिवाय चित्रकलाओं एवं पाण्डुलिपियों के, प्रतिमाएं, पत्थर की मूर्तियों एवं सिक्कों का एएसके द्वारा उनके सरंक्षण हेतु कभी भी सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, शीघ्र पुर्नस्थापन हेतु चिन्हित दस *प्रतिशत* पाण्डुलिपियों के संबंध में, कार्य में पिछले दो वर्षों से देरी की गई। एएसके में कलाकृतियों की संरक्षण स्थिति भी **अनुलग्नक 8.2** में चित्रित की गई है।

- एएसके[66] द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए परिग्रहण करने का कोई भी अद्यीतीय प्रतिरूप नहीं पाया गया। एएसके द्वारा रखे गए नक्शों को कोई भी परिग्रहण संख्या नहीं दी गयी थी।
- एएसके के पास सुरक्षा उपकरण जैसे चौखट धातु संसूचक, बैगेज स्कैनर्स, वॉकी-टॉकीज, आदि उपलब्ध नहीं थे तथा इनकी आवश्यकता का आंकलन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एएम द्वारा स्थापित 180 सीसीटीवी में से 80 खराब थे। अग्निशमन यंत्रों को छोड़कर कोई भी फायर अलार्म, धूम्र-संसूचक, स्प्रिंकलर्स नहीं लगाए गए।

8.2 एएसआई स्थल-संग्रहालय

एएसआई के पास पूरे देश में फैले अपने क्षेत्राधिकार के अधीन 50 पुरातत्व स्थल संग्रहालय थे। स्थल-संग्रहालयों के संबंध में, मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि 1915 में तैयार की गई विस्तृत नीति की पुन: जांच की गई तथा पुन: परिभाषित की गई। उसने सूचित किया कि पुरातत्व संग्रहालयों के लिए विजन, मिशन एवं दिशानिर्देशों पर मसौदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, जैसा पैरा 3.1 में देखा गया, एएसआई स्थल-संग्रहालयों के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले दिशा-निर्देश व्यापक दस्तावेज नहीं थे जैसा कि पीएसी द्वारा सिफारिश की गई थी। एएसआई ने 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान अपने स्थल संग्रहालयों के अनुरक्षण पर कुल ₹58.34 करोड़ का व्यय किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, 23 एएसआई स्थल-संग्रहालयों की जांच की गई तथा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है:

8.2.1 एएसआई के पास मध्य प्रदेश के चंदेरी, ग्वालियर, खजुराहो, सांची तथा शिवपुरी में पांच स्थल-संग्रहालय थे।

- पांच स्थल-संग्रहालयों में समाप्त कार्यबल की कमी की सीमा संस्वीकृत कार्यबल के 25 एवं 67 *प्रतिशत* के बीच थी। प्रत्येक स्थल-संग्रहालय के लिए एक सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद (एएसए) तथा दो सहायक पुरातत्वविद् (एए)

[66] वस्तुओं का उनकी क्रम संख्या, अधिग्रहण का वर्ष या उनके प्रकार के अनुसार अधिग्रहण किया गया।

के अनिवार्य पदों[67] के सापेक्ष में एएसए एवं एए के केवल तीन पदों (सभी पांच स्थल-संग्रहालयों की देख-भाल के लिए) को संस्वीकृत किया गया है।

- किसी भी स्थल-संग्रहालय में वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए कोई नियमित आवर्तन नीति नहीं थी। सभी संग्रहालयों में सिवाय चंदेरी के, रिजर्व में रखी गई कुल वस्तुओं की सीमा 76 से 99 *प्रतिशत* तक थी। 2013-14 से 2019-20 के दौरान, वस्तुओं का भौतिक सत्यापन चार स्थल-संग्रहालयों में सिवाय सांची के (2015 में किया गया) नहीं किया गया था।

- तीन स्थल संग्रहालयों अर्थात् चंदेरी, ग्वालियर एवं शिवपुरी में गैलरियों में रखी गई कई कलाकृतियों के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं थे। स्थल-संग्रहालय, ग्वालियर में कई कला वस्तुओं का फोटो प्रलेखन तथा प्रेलेखित फोटो में उनके अधिग्रहण संख्याओं का उल्लेख नहीं किया गया था।

- स्थल-संग्रहालय, ग्वालियर में अलग से रखे पुरावशेष दयनीय स्थिति में पाए गए। स्थल-संग्रहालय, चंदेरी में 407 वस्तुएं बिना कोई सीसीटीवी कैमरे के खुले में प्रदर्शित की गई। चूंकि सम्पूर्ण क्षेत्र एक पतले तार फेन्सिंग से आवृत था फिर भी खुले में इसका प्रदर्शन चोरी/खोने का खतरा अथवा मौसम के कारण खराब होने का खतरा था।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि उन्होंने दिसम्बर 2021 से मध्य प्रदेश में स्थल-संग्रहालयों के लिए एएसए को तैनात किया है। इसके अतिरिक्त स्थल-संग्रहालयों के प्रभारियों को प्रदर्शनियों का नियमित आवर्तन तथा सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं।

8.2.2 एएसआई के अपने कोलकाता सर्किल में तीन स्थल संग्रहालय अर्थात् (i) *हजरदुराय* महल संग्रहालय, मुर्शीदाबाद, (ii) *कूच बेहार* महल संग्रहालय, कूच बिहार, तथा (iii) पुरातत्व संग्रहालय, तामलुक थे।

- *कूच बिहार* महल संग्रहालय ने उपलब्ध 6,963 कलाकृतियों में से केवल 4.9 *प्रतिशत* का ही परिग्रहण किया था। यह उपलब्ध पुरावशेषों की यथार्थता के

[67] एएसआई संग्रहालयों के लिए पैरा 6.8 के दिशानिर्देश।

गैर-सत्यापन के कारण था। इसके अतिरिक्त, पुरातत्व संग्रहालय, तामलुक में उपलब्ध 8,074 वस्तुओं का केवल 3.6 *प्रतिशत* का अंकीयकरण किया गया है।

- तीन स्थल-संग्रहालय ऐसे पाए गए थे, जहाँ उनके द्वारा रखी गई वस्तुओं का केवल 3.2 *प्रतिशत* से 13.5 *प्रतिशत* तक प्रदर्शित किया गया था, कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए नियमित आवर्तन का अभाव था। पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन 2013-14 से 2019-20 के दौरान नहीं किया गया था।
- यद्यपि 87 *प्रतिशत* से अधिक कलाकृतियों को रिजर्व में रखा गया था वहां प्रभावी एअर-कंडीशनिंग के साथ भंडारण सुविधाओं, आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा आदि का अभाव था।
- इन स्थल-संग्रहालयों की संयुक्त भौतिक जांच के दौरान, सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात् गाइड सेवा, पार्किंग, दिव्यांग हेतु सुविधा, शिकायत-पंजी आदि उपलब्ध नहीं थी।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि कोलकाता सर्किल के अधीन सभी तीन संग्रहालयों के अंकीयकरण को आर्द्रता नियंत्रण का प्रावधान, निगरानी प्रणालियां एवं सुविधाओं को शामिल करके मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा।

8.2.3 एएसआई के पास कर्नाटक के श्रीरंगपटना, हालेबीदू, ऐहोल, बादामी, विजयपुरा तथा हंपी में छः स्थल संग्रहालय थे।

- किसी भी स्थल-संग्रहालय में वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी नियमित आवर्तन प्रणाली नहीं थी। सभी संग्रहालयों में सिवाय बादामी के कुल वस्तुएँ जो रिजर्व में रखी गई थी उनका प्रतिशत 53 से 94 *प्रतिशत* तक था। विजयपुरा, स्थल-संग्रहालय में किसी भी वस्तु का अंकीयकरण नहीं किया गया।
- चार स्थल-संग्रहालयों अर्थात् ऐहोल बादामी, हालेबीदू तथा हंपी में कई प्रदर्शित कलाकृतियों के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं थे। हालेबीदू संग्रहालय में एक कलाकृति (लकड़ी की चौखट) को बिना परिग्रहण के प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार, ऐहोल स्थल सग्रंहालय में मूर्तियों को चाहरदीवारी और पिछवाड़े में बिना परिग्रहण के पड़ी हुई मिली।
- हालेबीदू संग्रहालय में गैलरी में प्रदर्शित मूर्तियों पर धूल और मिट्टी एकत्रित थी। फफूंदी एवं कोई खुले में रिजर्व संग्रह में अधिकतर मूर्तियों/कलाकृतियों पर

काई जमी थी तथा रासायनिक सरंक्षण की आवश्यकता थी जैसाकि निम्नवत फोटोग्राफों में चित्रित किया गया:

धूल से ढ़की प्रदर्शित मूर्ति	**मूर्तियों पर लगी फफूंदी**	**क्षतिग्रस्त फेंसिंग**

- हालेबीदू स्थल-संग्रहालय में अनिर्दिष्ट कलाकृतियां एक टूटे दरवाजे वाले कमरे में रखी गई थी। 12 सीसीटीवी कैमरों में से दो कार्यात्मक नहीं थे। संग्रहालयों में अग्निशामक भी कार्यात्मक नहीं थे।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि ऐहोल संग्रहालय परिसर में रखी सभी मूर्तियां प्रलेखित थी तथा एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हालेबीदू संग्रहालय में मूर्तियां वैज्ञानिक रूप से परिरक्षित थी।

8.2.4 एएसआई के पास दिल्ली सर्किल में पांच स्थल-संग्रहालय (लाल किले में चार तथा *पुराने किले* में एक) थे। तथापि, एएसए को उनमें से किसी में भी तैनात नहीं किया गया था। पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया कि भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लालकिला के चार चोरी हुए पुरावशेष 1989 से दरियागंज पुलिस स्टेशन में पड़े थे।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि उन्होंने दिसम्बर 2021 से दिल्ली सर्किल में स्थल-संग्रहालयों के लिए एएसए को नियुक्त किया तथा पुलिस स्टेशन से दो पुरावशेष प्राप्त किए।

8.2.5 एएसआई के पास ओडिशा के कोणार्क, रत्नागिरी तथा ललितगिरी में तीन स्थल-संग्रहालय थे।

- कोणार्क स्थल-संग्रहालय में पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान नहीं किया गया था। सर्किल कार्यालय ने आश्वासन दिया कि सत्यापन शीघ्र ही किया जाएगा। यह पाया गया कि एक विशेषज्ञ-समिति ने 13 पुरावशेषों को अप्राप्य होना सूचित किया (दिसम्बर 2015)। तथापि, गुम हुए पुरावशेषों को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थल-संग्रहालय के पुरावशेष, संग्रहालय में रखे जाने के बजाए (सूर्य मंदिर, कोणार्क) स्मारक में ऐसे ही पड़े थे।

- किसी भी स्थल-संग्रहालय में वस्तुओं को प्रदर्शित करने की कोई आवर्तन नीति नहीं थी। रतनागिरी स्थल-संग्रहालय में 3,540 कलाकृतियों में से 92.9 *प्रतिशत* (3,288) को आरक्षित रखा गया था। केवल 1.7 *प्रतिशत* (60) वस्तुओं का अंकीयकरण हुआ, इसके अतिरिक्त, सर्किल कार्यालय ने सूचित किया कि अंकीयकरण का कार्य अपेक्षित श्रमशक्ति की नियुक्ति के संबंध में एएसआई मुख्यालय से अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी संग्रहालयों को आवर्तन नीति को अपनाने तथा वर्ष में एक बाद पुरावशेषों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति ने चार पुरावशेषों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति ने चार पुरावशेषों का पता लगाया था जबकि अन्यों के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उसने यह भी सूचित किया कि कोणार्क में खुले में रखी गई कलाकृतियों को उचित प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा था तथा इनके अंकीकरण का कार्य प्रगति में था।

8.3 एएसआई के अधीन अन्य संग्रहालय

एएसआई के अधीन अन्य संग्रहालयों/भण्डार गृहों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

8.3.1 केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह

पुराना किला, दिल्ली में केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह (सीएसी) की स्थापना एएसआई द्वारा सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, उत्खननों तथा जब्ती के दौरान एकत्रित पुरावशेषों/कलाकृतियों के भण्डारण हेतु 1960 में की गई थी। सीएसी देश के विभिन्न भागों से एकत्रित दुर्लभ पुरावशेषों का एक समृद्ध भण्डार है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ जब्त तथा पुन: प्राप्त पुरावशेषों को आम जनता के लिए प्रदर्शन पर रखा गया था (अगस्त 2019 से)। पिछले प्रतिवेदन से सीएसी भण्डार में कलाकृतियों के भण्डारण में उल्लेखनीय सुधार भी पाए गए थे जैसा निम्न फोटोग्राफो में दर्शाया गया है:

सीएसी में पुरावशेषों की स्थिति-पिछला प्रतिवेदन	**सीएसी की नई गैलरी तथा आरक्षित संग्रह-अनुवर्ती लेखापरीक्षा**	

तथापि, पुरावशेषों हेतु अभी भी एक समान वातानुकूलित पर्यावरण का कोई प्रावधान नहीं था। सीएसी रिजर्व में सीसीटीवी कैमरा तथा अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे। पुरावशेषों के एए/ए (अति दुर्लभ तथा दुर्लभ) श्रेणी के विशाल संग्रह के बावजूद सीएसी केवल एक सहायक पुरातत्वविद् द्वारा प्रबंधित था।

8.3.2 समुद्री पुरातत्व संग्रहालय

पीएसी की इच्छा थी कि भारत के महान समुद्री अतीत के पुरावशेषों तथा स्मारकों को प्रदर्शित करने हेतु समुद्री संग्रहालयों का उपयुक्त स्थानों पर स्थापना की जाए। मंत्रालय/एएसआई ने मुबंई में समुद्री संग्रहालय खोलने के संबंध में अपने प्रस्ताव के बारे में पीएसी को सूचित किया था (अप्रैल 2016)। यद्यपि मंत्रालय/एएसआई द्वारा

ऐसा कोई संग्रहालय खोला गया हो, नहीं पाया गया था फिर भी यह पाया गया था कि पोत परिवहन मंत्रालय ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) का निर्माण आरंभ किया था (फरवरी 2020), जिसमें राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, समुद्री विरासत आधारित थीम पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान आदि को बनाने का प्रस्ताव था।

8.3.3 स्थल-संग्रहालयों के रूप में मूर्तिकला शेड का विकास

पिछले प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि सीएबीए की एक उप-समिति द्वारा मौजूदा मूर्तिकला रोड तथा अन्य स्थलो को स्थल-संग्रहालयों में परिवर्तित करने के संबंध में 2009 में की गई सिफारिश के बावजूद प्रगति नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, पिछली लेखापरीक्षा के समय दौरा किए गए रबदेन्त से स्थल, सिक्किम (कोलकाता सर्किल) में एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। जैसा पहले सूचित किया गया कि कलाकर्तियों को बिना परिग्रहण संख्या के अभी भी शेड में रखा जा रहा था जबकि इस प्रायोजन हेतु निर्मित कांच के बॉक्स खाली थे। यघपि सर्किल कार्यालय ने बताया कि यह केवल एक मूर्तिकला शैड था इसलिए वह पहले उजागर किए गए मामले पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ था।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि एनएमएमए के प्रपत्र के अनुसार व्यापक अभिलेखीकरण प्रगति में था। तथापि, पिछले प्रतिवेदन में की गई अभ्युक्ति पर कोई कार्रवाई न करने का कारण प्रदान नहीं किया गया था।

8.3.4 एएसआई का बाल संग्रहालय

एएसआई का बाल संग्रहालय दिल्ली में स्थित संग्रहालय की एक प्रतिकृति है। संग्रहालय की विशेष रूप से प्रसिद्ध पुरावशेषो के लगभग 50 प्रतिकृति संरचनाओं के माध्यम से भारत की संस्कृति, पुरातत्व तथा ऐतिहासिक विरासत पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्थापना की गई थी। एएसआई ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि संग्रहालय में वार्षिक दर्शक संख्या 1,500-2,000 थी। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि कई प्रतिकृतियों को उनके सांस्कृति इतिहास को दर्शाए बिना बाल संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय के लिए कोई

समर्पित स्टाफ या बजट प्रदान नहीं किया जा रहा था तथा एएसआई ने इसके प्रचार अथवा जागरूकता हेतु कोई पहल नहीं की थी।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि बाल संग्रहालय के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी।

निष्कर्ष:

मंत्रालय/एसआई के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालयों तथा स्थल-संग्रहालयों में पुरावशेषों के प्रबंधन अर्थात् स्टाफ की कमी, कलाकृतियों के अंकीयकरण तथा परिग्रहण की कमी, उनके प्रदर्शन, सत्यापन, सरंक्षण, भण्डारण तथा सुरक्षा से संबंधित मामले अभी भी मौजूद थे। पहले ही पिछले प्रतिवेदन में इंगित की गई यह विचारणीय मुद्दे इन संग्रहालयों के प्रभावी कार्यचालन को प्रभावित कर रहे थे।